

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं० सी- 103 / तक० प्रको० / विविध / 18-19 दिनांक- 16-5-18

समस्त शाखा प्रबन्धक,

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- बैंक द्वारा क्रियान्वित नवीन योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति के सम्बन्ध में।

आपको विदित ही होगा कि बैंक द्वारा विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवीन योजनायें लागू की गई हैं जैसे ड्रिप सिप्रकलर सिचाई योजना (परिपत्र सं० सी-14/दि० 26.04.17), औषधीय फसल योजना (परिपत्र सं० सी-18/दि० 03.05.17), औद्योगिक योजनान्तर्गत ऋण वितरण प्रक्रिया (परिपत्र सं० सी-19/दि० 04.05.17) तथा एन बी सी एफ डी सी योजनान्तर्गत परिवहन के क्षेत्र में एस.आर.डब्ल्यू टी.ओ. योजनान्तर्गत ई रिक्शा हेतु योजना (परिपत्र सं० सी-100/दि० 27.03.18) आदि।

उक्त संदर्भित योजनाओं में ऋण वितरण करने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु अद्यतन ऋण वितरण की प्रगति की कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हो पायी है जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन की उपयोगिता का आंकलन नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त आपकी शाखा क्षेत्र में यदि कोई अन्य योजना/योजनायें उपयोगी प्रतीत हो रही रही हैं जिनमें ऋण वितरण की सम्भावनायें प्रबल हो, के सम्बन्ध में भी प्रधान कार्यालय को अवगत कराया जाय ताकि वाञ्छित योजना का परीक्षण कर शीघ्र ही लागू करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त नवीन योजनाओं में ऋण वितरण की प्रगति तथा शाखा क्षेत्र में सम्भावित उपयोगी योजनाओं के प्रस्ताव शीघ्र ही प्रधान कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं बैंक द्वारा संचालित की गयी नयी योजनाओं में आवश्यकतानुसार ऋण वितरण करें।

(के० पी० सिंह)

प्रबन्ध निदेशक

3

प्रतिलिपि-निम्नोक्त को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1 समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2 समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

3 उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्र० का० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)

महाप्रबन्धक (तकनीकी)

2